[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 07/2022 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 26 मई, 2022

सा.का.नि....(अ).- केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1600(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 73/2017-केंद्रीय कर, तारीख 29 दिसंबर, 2017 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पांचवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए **प्ररुप जीएसटीआर-4** प्रस्तुत करने में विलंब के लिए संदेय विलंब फीस का 1 मई, 2022 से 30 जून, 2022 तक अधित्यजन किया जाएगा ।"।

(फा. सं. सीबीआईसी-20006/8/2022-जीएसटी)

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्यांक 73/2017-केंद्रीय कर, तारीख 29 दिसंबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1600 (अ), तारीख 29 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 365 (अ) तारीख 1 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 21/2021-केंद्रीय कर, तारीख 1 जून, 2021, द्वारा संशोधित की गई थी।